न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 05/2023
ऑनलाईन नंबर 2023/10 — निर्णय दिनांकः 07.02.2023

खिराज पुत्र सुरजाराम जाति बावरी निवासी बिग्गाबासरामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादी

—:बनामः—

1. कन्हैयालाल
2. कीनाराम
3. गोपालराम
4. जगदीश
5. सोहनी
6. छोटू

पुत्रगण/पुत्रियासुरजाराम

7. भागीरथपुत्र बालूराम
8. रामनिवास
9. लालचन्द

पुत्रगण नन्दाराम

10. सुप्यारीपत्निसांवरमल
11. गोपीराम
12. रामरख
13. शंकरलाल

पुत्रगण सांवरमल

14. सन्तोषपुत्री सांवरमल
15. राजस्थानराज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ

जातिबावरी
निवासी बिग्गा बास रामसरा
तहसीलश्रीडूंगरगढ़
जिलाबीकानेर

प्रतिवादीगण

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके विरास्तन एवं संयुक्त परिवार की आय से अर्जित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 218 तादादी 5.8400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 970/247 तादादी 1.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 971/247 तादादी 5.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 तादादी 5.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59तादादी 11.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 तादादी 5.3100 हैक्टेयर रोही बिग्गाबास रामसरा खसरा नम्बर 752 तादादी 4.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 3.7600 हैक्टेयर रोही बिग्गा में स्थित है। वादगत खेतों का आपसी पारिवारिकविभाजन में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हो चुका है जो निम्न सारणी के अनुसार है:—

क्रस.	रोही	खसरानम्बर	तादादी	नाम	हिस्सा	टिप्पणी
1	बिग्गाबासरामसरा	59	11.5200	खिराजराम	4.6700	मध्य पूर्वी
				जगदीश	4.6700	पूर्वी
				कीनाराम	1.09	द.पश्चिमी
				कन्हैयालाल	1.0900	उ. पश्चिमी
		93	5.3100	गोपालराम	4.6700	पश्चिमी
				कीनाराम	0.3200	पूर्वी
				कन्हैयालाल	0.3200	मध्य पूर्वी
		970/147	1.5200	कीनाराम	1.5200	सम्पूर्ण
		971/147	5.03	कीनाराम	1.7600	पश्चिमी
				कन्हैयालाल	3.2700	पूर्वी
		250	5.8700	भागीरथ	5.8700	सम्पूर्ण
		218	5.8400	गोपीराम रामरख	1.5200	पश्चिमी
				गोपीराम रामरख शंकरलाल	2.2300	मध्य
				रामनिवास लालचन्द	1.9800	पूर्वी
				भागीरथ	0.1100	द. पूर्वी
2	बिग्गा	752	4.0100	रामनिवास लालचन्द	4.0100	सम्पूर्ण
		854	3.7600	गोपीराम,रामरख,शंकरलाल	3.7600	सम्पूर्ण

Divya
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 15:37:39 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वादगत खेतो का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 के मध्य आपसी पारिवारिकविभाजन हो चुका है वादी एवंप्रतिवादी संख्या 1 ता 14 में उपरोक्त सारणी के अनुसार हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार वादी का कब्जा–काश्त एवं उपयोगउपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी उक्त खसरा नंबर 218 तादादी 5.8400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 970/247 तादादी 1.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 971/247 तादादी 5.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 तादादी 5.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 तादादी 11.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 तादादी 5.3100 हैक्टेयर रोही बिग्गा बास रामसरा खसरा नम्बर 752 तादादी 4.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 3.7600 हैक्टेयर रोही बिग्गा में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहता है एवं इसी अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा–काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादी ने प्रतिवादी से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया ता प्रतिवादी ने ऐसा करने से दिनांक 15.12.2022 का स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 15.12.2022 को वादगत खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और वादी को धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है।हम वादगत खेतों में से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देगे। वादगत खेतों में वादी का कब्जा काश्त होने एवं वादी व प्रतिवादी का संयुक्त खातेदारी के होने व प्रतिवादी द्वारा दिनांक 15.12.2022 की इनकारी से वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक वादी का कब्जा काश्त होंने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 बहकावे में आये हुए है तथा ऊपर वर्णित खेतों में आये हुए वादी के हक हिस्से से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुडाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनाँक :–15.12.2022 को धमकी दी और प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नही देंगे। और इन खेतों के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब वादी ने दिनाँक 15.12.2022 को ही प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 से वादी के हिस्से की भूमि की घोषणा कराने तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ऐसा करने से साफ ईन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हें वादगत खेतों में से एक बिस्वा भी भूमि नही देगे और खेतों से बेदखल कर देंगे व खेत को विक्रय कर देगे इसलिए वादी को दिनाँक 15.12. 2022 को प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणा, खाता विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का वादहेतु (कॉज ऑफ एक्शन) उत्पन हो गया है। वादी का वादगत खेतों में कब्जाकाश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रुप से चला आ रहा है। वादी को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक एवं संयुक्त परिवार की कृषि भूमि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरुरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन वादीको दिनाँक15.12.2022 प्राप्त हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 वादी के कब्जाकाश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। वादी को वादगत खेतों की कृषिभूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। वादी को वादगत रकबा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा–काश्त पिछले 30–35 वर्षो से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलनवादी के पक्ष में है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 द्वारा वादी के खेतों विक्रय कर दिया तो वादी को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। वादी उक्त खेतों को शुरु से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करते चले आ रहे है।लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने दिनाँक 15.12.2022 को वादी को वादगत पर प्रवेश न करने, कृषिकार्य नही करने तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 14 ने वादगत खेत जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेतों को विक्रय करने की धमकियां दी वादी ने प्रतिवादी सख्या 1 ता 14 को वादगत खेत में उनके हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 ने साफ इनकार कर दिया और धमकियां दी कि तुमको वादगत खेतों में न तो घुसने देंगे, ना ही तुम्हारे हिस्से की भूमि लेने देंगे, वादगत खेतों से बेदखल कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर देंगे इस प्रकार वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 द्वारा दी गई धमकी की दिनाँक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेतों में वादी का हिस्सा निहित होने से वादा धार प्राप्त हैं इसलिए वादी द्वारा उक्त दावा घोषणा, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने उक्त दावा प्रतिवादी के विरुद्ध घोषणात्मक व विभाजन के अनुतोष का चाहा है। उक्त दावे में प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 15:37:39 IST
Reason: SelfAttested

Divya
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

संख्या 13 के रुप राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है। स्टेट को दावा खाता तरमीम के ऑपचारिक पक्षकार बनाया गयाहै। स्टेट के विरुद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गयाहै। घोषणात्मक के दावे में दावा के अनुतोष में दावा दायरी से दो माह पूर्वजाब्ता दीवानी की धारा 80(1) सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त दावा अत्यन्त ही अर्जेन्ट नेचर का है। अगर राजस्थान सरकार को दो माह का नोटिस देकर इन्तजार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 अपने गलत इरादे मे सफल हो जायेगा औरदावा का मकसद ही समाप्तहो जायेगा इसलिए दावा दायरी से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. की छूट हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छूटप्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त दावा में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया। वादगत खेत तहसील श्रीडूगरगढ में स्थितहै। जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा उचित न्याय शुल्क पर समयावधि के भीतर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्त फरमाई जावे :–

क. यह है कि वादी को खसरा नंबर 59 तादादी 11.5200 हैक्टेयर में से 4.6700 हैक्टेयर रोही रोही बिग्गा बास रामसरा का खातेदार घोषित किया जाकर मद संख्या 2 में अंकित सारणी अनुसार अलग से खाता विभाजन किया जावे व तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

ख. यह है कि प्रतिवादी को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नंबर 218 तादादी 5.8400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 970/247 तादादी 1.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 971/247 तादादी 5.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 तादादी 5.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 तादादी 11.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 तादादी 5.3100 हैक्टेयररोहीबिग्गाबासरामसरा खसरा नम्बर 752 तादादी 4.0100 हैक्टेयर, खसरानम्बर 854 तादादी 3.7600 हैक्टेयर रोही बिग्गा तहसील श्रीडूगरगढ़ में वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत बैंजा नहीं करें ना करावे उक्त खसरा के किसी भी भाग को विक्रय, रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें ना किसी अन्य से करावें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हो। दौराने दावा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

ग.यह है कि प्रतिवादी संख्या 5 को आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नंबर 218 तादादी 5.8400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 970/247 तादादी 1.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 971/247 तादादी 5.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 तादादी 5.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 तादादी 11.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 तादादी 5.3100 हैक्टेयर रोही बिग्गा बास रामसरा खसरा नम्बर 752 तादादी 4.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 3.7600 हैक्टेयर रोही बिग्गा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के खातेदारी दर्ज कर उपरोक्त सारणी के अनुसार खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में संधारण करें। तद्नुसार ही अलग पास बुक जारी कर लगान कायम करें।

घ.यह है कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हो जावे, वह भी वादी को प्रदान किया जावे।

ड.यह है कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलायाजावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया राजीनामा पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामे से वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 218 तादादी 5.8400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 970/247 तादादी 1.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 971/247 तादादी 5.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 तादादी 5.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 तादादी 11.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 तादादी 5.3100 हैक्टेयर रोही बिग्गा बास रामसरा खेत खसरा नम्बर 752 तादादी 4.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 3.7600 हैक्टेयर रोही बिग्गा तहसील श्रीडूगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी का खाता विभाजन निम्न सारणी एवं संलग्न नवशा अनुसार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 15:37:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

क्र.स.	रोही	ख. नं.	तादादी	नाम	हिस्सा	टिप्पणी
1.	बिग्गाबास रामसरा	59	11.5200	खिराज	4.6700	मध्य पूर्वी
				जगदीश	4.6700	पूर्वी
				कीनाराम	1.09	द.पश्चिमी
				कन्हैयालाल	1.0900	उ.पश्चिमी
		93	5.3100	गोपालराम	4.6700	पश्चिमी
				कीनाराम	0.3200	पूर्वी
				कन्हैयालाल	0.3200	मध्य पूर्वी
		970/147	1.5200	कीनाराम	1.5200	सम्पूर्ण
		971/147	5.03	कीनाराम	1.7600	पश्चिमी
				कन्हैयालाल	3.2700	पूर्वी
		250	5.8700	भागीरथ	5.8700	सम्पूर्ण
		218	5.8400	गोपीराम, रामरख	1.5200	पश्चिम
				सुप्यारी, गोपीराम, रामरख, शंकरलाल	2.2300	उतरी पूर्वी
				रामनिवास, लालचन्द	1.9800	दक्षिणी पूर्वी
				भागीरथ	0.1100	उतरी मध्य
02	बिग्गा	752	4.0100	रामनिवास,लालचन्द	4.0100	सम्पूर्ण
		854	3.7600	सुप्यारी, गोपीराम, रामरख, शंकरलाल	3.7600	सम्पूर्ण

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 14 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के पक्ष में छोड दिया है । अतः तहसीलदार नियमानुसार छोड गये हिस्से पर स्टाम्प डयूटी वसूल करते हुए रहनशुदा खसरानों कें संबंध में बैंक नोडूयज प्राप्त होने पर तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 15:37:39 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

खिराज पुत्र सुरजाराम जाति बावरी निवासी बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर

–:बनाम:–

1. कन्हैयालाल 2. कीनाराम 3. गोपालराम 4. जगदीश 5. सोहनी 6. छोटू पुत्रगण/ पुत्रिया सुरजाराम
7. भागीरथ पुत्र बालूराम 8. रामनिवास 9.लालचन्द पुत्रगण नन्दाराम 10. सुप्यारी पत्नि सांवरमल 11. गोपीराम 12. रामरख 13. शंकरलाल 14. सन्तोष पुत्रगण/ पुत्री सांवरमल जातियान बावरी निवासीगण बिग्गा बास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 15.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ

दावा बाबतः घोषणा विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 05/2023

निर्णय दिनांकः 07.02.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की ओर से श्री के.के.पुरोहित अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है खेत खसरा नंबर 218 तादादी 5.8400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 970/247 तादादी 1.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 971/247 तादादी 5.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 250 तादादी 5.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 59 तादादी 11.5200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 तादादी 5.3100 हैक्टेयर रोही बिग्गा बास रामसरा खेत खसरा नम्बर 752 तादादी 4.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 854 तादादी 3.7600 हैक्टेयर रोही बिग्गा तहसील श्रीडूगरगढ़ में वादी एवं प्रतिवादी का खाता विभाजन निम्न सारणी एवं संलग्न नक्शा अनुसार किया जाता हैः–

क्र.स.	रोही	ख. नं.	तादादी	नाम	हिस्सा	टिप्पणी
1.	**बिग्गाबास रामसरा**	59	11.5200	खिराज	4.6700	मध्य पूर्वी
				जगदीश	4.6700	पूर्वी
				कीनाराम	1.09	द.पश्चिमी
				कन्हैयालाल	1.0900	उ.पश्चिमी
		93	5.3100	गोपालराम	4.6700	पश्चिमी
				कीनाराम	0.3200	पूर्वी
				कन्हैयालाल	0.3200	मध्य पूर्वी
		970/147	1.5200	कीनाराम	1.5200	सम्पूर्ण
		971/147	5.03	कीनाराम	1.7600	पश्चिमी
				कन्हैयालाल	3.2700	पूर्वी
		250	5.8700	भागीरथ	5.8700	सम्पूर्ण
		218	5.8400	गोपीराम, रामरख	1.5200	पश्चिम
				सुप्यारी, गोपीराम, रामरख, शंकरलाल	2.2300	उत्तरी पूर्वी
				रामनिवास, लालचन्द	1.9800	दक्षिणी पूर्वी
				भागीरथ	0.1100	उत्तरी मध्य
02	**बिग्गा**	752	4.0100	रामनिवास,लालचन्द	4.0100	सम्पूर्ण
		854	3.7600	सुप्यारी, गोपीराम, रामरख, शंकरलाल	3.7600	सम्पूर्ण

प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 ने अपना हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 14 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के पक्ष में छोड दिया है । अतः तहसीलदार नियमानुसार छोड गये हिस्से पर स्टाम्प डयूटी वसूल करते हुए रहनशुदा खसरानों कें संबंध में बैंक नोड्यूज प्राप्त होने पर तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। तहसीलदार [illegible] तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत.....0......खर्चा इस मुकदमें के म[illegible] व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.... ......तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक [illegible] माह ०२ सन् 2023 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.09 15:37:39 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर)
सत्यमेव जयते